2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 129/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.19 में उसके द्वारा (1) जावेद अली उपखण्ड अधिकारी लूणी की दैनिक डायरी 11.01.2019 से 20.01.19 तक की नियमानुसार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 79 दिनांक 09.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी लूणी श्री जावेद अली की दैनियक डायरी दिनांक 11.01.19 से 20.01.19 तक की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिस पर इस कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 17.07.19 के द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया तथा कार्यालय के निर्णय से जरिये पत्रांक 381 दिनांक 17.07.19 द्वारा अवगत करा दिया गया था अतः प्रार्थना पत्र जिन आधारों पर निरस्त किया गया जिसको चुनौति नहीं गई है और सूचना उपलब्ध करवाये जाने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है जो युक्तियुक्त नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने माननीय सर्चोच्च न्यायालय के S.L.P. (civil) नं. 27734/2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम सी.आई.सी. व अन्य के निर्णय के परिपेक्ष्य में श्रीमती सूरज कंवर राठौड़ नायब तहसीलदार की दैनिक डायरी की प्रमाणित नकल आर.टी.आई. के तहत personal information has difined in clause (j) of secton 8(1) of the RTI Act. मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया तथा इसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्राक 380 दिनांक 17.07.19 को जारी किया जा चुका है अतः प्रार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	